पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आ0–21 / 2024–25 92/311 रा0,

**झारखण्ड सरकार**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–28-10-2024

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष–090–सचिवालय, उपशीर्ष–17–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में विधि प्रभार इकाई में कुल ₹22,00,000 / – (रूपये बाईस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित स्थापना व्यय मुख्य्शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–5669 / 2023 टाटा स्टील लिमिटेड बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में सरकार का सशक्त पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत अधिवक्ता को विधि शुल्क भुगतान संबंधी विधि विभाग के ज्ञापांक–1719 / जे0, दिनांक–22.07.2024 के आलोक में रूपये 22,00,000 / – मात्र की राशि आवंटित की जाती है ।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन DDO CODE-PRJSGS 007 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–322 / वि., दिनांक–28.01.2002, पत्रांक–1800 / वि., दिनांक–15.07.2003 एवं पत्रांक–257 / बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की ज़ायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह / अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

24/X

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 92/311/17 राँची, दिनांक– 28-10-2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/X/XXIV

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)